Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **चित्तौड़गढ़ में क्षेत्रीय वन अधिकारी (रेंजर) एवं उसका दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 60 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *04 जुलाई, मंगलवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर चित्तौड़गढ़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेंज बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ एवं उसके दलाल मदन लाल गुर्जर (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **60 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की चित्तौड़गढ़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके जलाऊ लकड़ी परिवहन करते पकड़े गये वाहन को छोड़ने तथा वन क्षेत्र में बिना रूकावट कार्य करने देने की एवज में मासिक बन्धी के रूप में अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेंज बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा उसके दलाल मदन लाल गुर्जर (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से द्वारा **80 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के उदयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी की चित्तौड़गढ़ इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कैलाश सान्दू** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री आदर्श कुमार एस.यू. उदयपुर** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये अब्दुल सलीम पुत्र श्री अब्दुल कय्यूम कुरैशी निवासी हाजी हाउस, घोसी मौहल्ला, अनन्तपुरा कोटा हाल क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेंज बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ एवं उसके दलाल मदन लाल गुर्जर पुत्र कालू लाल गुर्जर निवासी तोरणिया, पुलिस थाना पारसोली, जिला चित्तौड़गढ़ (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **60 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।